

राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण

राहुल कुमार मौर्य

शोध अध्येता, समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) भारत

Received- 30.10.2019, Revised- 06.10.2019, Accepted - 10.10.2019 E-mail: dr.ramnyadav@gmail.com

सारांश : पिछले कुछ वर्षों से देश की राजनीति का परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा के चुनाव तक में अपराधियों की जमात को देखा जा सकता है। देश का कोई ऐसा भाग नहीं बचा है जहाँ अपराधियों का बोलबाला न हो। इसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद ही देश के अन्य भाग हैं, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र आदि के नाम लिए जा सकते हैं। मताधिकार संगठन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और कानून का शासन लोकतंत्र के आधार स्तम्भ हैं पर कुछ लोगों ने इसका दुरुपयोग कर लगातार लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की है या इसे इस प्रकार कहें कि अपराधियों के कारण लोकतंत्र का ढांचा कमजोर हुआ है तो इसे इस्वीकार किया जाना चाहिए। राजनीति के अपराधीकरण का साफ संकेत है कि व्यक्ति और समाज के स्वरूप में भी गिरावट आयी है। इस गिरावट का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि लोग अपने अधिकार को पाने या इस्तेमाल करने के लिए किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाने से नहीं चूकते, वहीं इसके विपरीत लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं।

कुंजी शब्द – राजनीति का परिदृश्य, लोक सभा, अपराधी, पंचायत स्तर, मताधिकार संगठन, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति।

कबीरदास की एक उल्टीबांसी है जिसका अर्थ है कि बूंद समुद्र में समा जाय तो यह स्वाभाविक है, पर समुद्र बूंद में समा जाय तो लोगों को आश्चर्य होगा। आज वही विस्मयकारी स्थिति आ पहुँची है। पूर्व में अपराध केवल राजनीति को रिझाता था, फिर भी सहमा हुआ था किन्तु 1970 ईस्वी के बाद से वह उसके साथ गलबहियाँ डाले चल रहा है, या कहिये उसपर हावी है। भारत की अजर-अमर आत्मा से विदेशी गुलामी के पुराने वस्त्रों को त्यागकर नया वस्त्र धारण किया था, किन्तु राजनीतिक उपभोक्तावाद की दीमक ने हमारी आदर्श संस्थाओं को खोखला बना दिया और राजनीतिक नेतृत्व को नपुंसक।

वर्तमान समय की सबसे बड़ी विफलता राजनीतिक है, जिसने जनता को सबसे अधिक छला है। सत्ता, सुविधा और शरारत की होड़ ने देश में अपराधीकरण की राजनीति को जन्म दिया जो कालांतर में राजनीति के अपराधीकरण में परिवर्तित हो गया। पैसा खाकर बूथ प्रबन्धन से सफल अपराधियों ने जब नेताओं को सत्ता में पहुँचा दिया तो उनमें एक आत्मविश्वास जगा, और वे स्वयं संसद और विधानसभा के उम्मीदवार बन बैठे। नेताजी ऐसे लोगों को पार्टी टिकट दिलवाने में सक्रिय रहे, क्योंकि इनमें जीतने की क्षमता थी और स्वयं राजनीतिज्ञ इनका कोपभाजन नहीं बनना चाहते थे। चुनाव में धनबल, बाहुबल, शस्त्रबल का प्रयोग लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती बनी और एक ईमानदार सरकार की कामना बेमानी हो गयी। सत्ता का कामधेनु रूप सबको ललचाता रहा, जिससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को इसका कब्जा करने की प्रतिस्पर्द्धा

बढ़ी। नतीजतन एक बड़ी संख्या में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुँच गए और सद्चरित्र लोग राजनीति से बाहर होने लगे।

अपराधियों का सत्ता का नैतिक समर्थन मिल जाने से लोकतंत्र, अपराध-तन्त्र के चक्रव्यूह में फंसता गया। सत्ता में आते ही राजनेताओं का पहला कदम उन आपराधिक मुकदमों को वापस लेना रहा, जो उनके चहेतों पर पूर्व से चल रहे थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड और बिहार इसमें अग्रणी बना। जनप्रतिनिधियों में अपराध के प्रति रूझान होने के कारण लोक और तन्त्र के बीच का रिश्ता टूटता जा रहा है। लोकतन्त्र का स्थायित्व निर्भर करता है स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव पर। चुनाव के ही द्वारा आम जनता कुशासन से मुक्ति पाती है और अपनी सुरक्षा को दृढ़ करती है। किन्तु स्थिति यह है कि चुनाव अधिकारी फटाफट अपने ही उम्मीदवारों को वोट दिलवा देता है या अपने प्रिय चुनाव चिन्ह पर स्वयं बटन दबा देता है। अपराधियों का रोल तो इसके अतिरिक्त है। ऐसे में कोई राष्ट्र नैतिक सत्व के बिना क्या प्राणवान् रह सकता है? सामाजिक न्याय, समता और शोषण मुक्ति के नाम पर राजनीति ने भयावह अपराध और नरसंहार किए हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई जाति के जंग लगे हथियारों से लड़ा जाता है। साम्प्रदायिकता के जहर को जातिवाद के जहर से काटने का अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रयास में बनी निजी सेनाएं जो मुख्यतः अगड़े-पिछड़े के आधार पर बनती हैं, एक-दूसरे के रक्त के प्यासे बन गए हैं। आश्चर्य तब हुआ जब अगड़ों की एक बार सामूहिक हत्या हुई तो



एक पिछड़े मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कह दिया कि मृत उनके वोटर नहीं थे, वह वहाँ क्यों जायें? बिहार में राजनीति और अपराध ने गैंगवार का रूप धारण कर लिया था। 'एम. सी.सी. और 'पीपुल्सवार गुप' के मुठभेड़ में हत्याएं लगातार होती रहती थीं। पार्टियाँ जातिगत आधार तैयार करती हैं और अपराधी इसी आधार पर संगठित होते हैं।

बिहार एवं उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार और हत्या की चर्चा समाचार-पत्रों में बहुत होती है। भाजपा तथा साझा दलों के साथ ही सरकार में माफियाओं, अपराधियों तथा अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के शामिल होने से राजनीतिक गर्मी ऐसी पैदा हुई कि उनके विरुद्ध सामाजिक मुहिम छिड़ने के साथ राजनीतिक आरोपों-प्रत्यारोपों ने खुद उनकी कलाई खोलने का काम किया। कुख्यात अपराधी सरगना प्रकाश शुक्ल के मारे जाने के बाद, कई मंत्रियों और नेताओं से उसके सम्बन्ध को लेकर भारी हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को इन मंत्रियों और राजनीतिज्ञों पर जांच बैठानी पड़ी किन्तु बाद में कई कारणों से वह ठण्डे बस्ते में पड़ गयी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड की सी.बी.आई. जांच अधर में ही लटकी रही और इस हत्याकांड के सरगना प्रदेश की राजनीति के अगुआ बने रहे। माफियाओं पर की गयी कार्रवाई की चुनावी बेमानी हो गयी क्योंकि गाज छुटभैयों पर गिरी और बड़े माफियाओं का राज चलता रहा। हमीरपुर में पांच लोगों की हत्या के आरोपी विधायक पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पायी क्योंकि उसने सत्तापक्ष के एक राजनीतिज्ञ को लोकसभा चुनाव जीतने में मदद की थी।

जनता रूपी जहाज का चालक सरकार और प्रशासन होता है। सत्ता की मर्यादा आज भंग हो चुकी है। यदि बेईमानी, भ्रष्टाचार, जनता के साथ धोखाधड़ी, निजी लाभ के लिए नंगा नाच, सत्ताधारियों का अभीष्ट बन चुका है तो प्रशासन का लुंज-पुंज और स्वार्थपरक होना स्वाभाविक है। ऐसे माहौल में अपराधियों की चांदी कटती है।

आज आम धारणा बन गयी है कि पुलिस जनता की सहायता करने की बजाय अपराधियों की मदद करना चाहती है और उनकी लापरवाही से अपराध होते हैं, जिसमें पुलिस बड़ी रकम पाती है। कानून व्यवस्था ऐसी हो गयी है कि दिन-दहाड़े लूट, डकैतियां, हत्या, अपहरण, बलात्कार प्रतिदिन होते रहते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। आलम यह है कि जनता भयंकर डर और खौफ महसूस करती है। अपराधियों द्वारा अधुनातन हथियारों, कारों तथा नये तरीकों का प्रयोग पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनती

है। पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ बलात्कार की अनेक घटनाएं सामने आयी हैं। यह भी सही है कि जब अपराधियों के पक्षधर बनकर कोई राजनेता बीच में आ टपकता है, तो पुलिस निःसहाय हो जाती है। अतः पुलिस अपना सर दर्द कम करने के लिए जाली मुठभेड़ दिखाकर अवांछित तत्वों से पल्ला छुड़ाती है, किन्तु उसे मानव अधिकार के उल्लंघन का अपराधी माना जाता है।

राजनीतिज्ञों को अपराध के लिए अभयदान मिला हुआ है—कोटा, परमिट, ठेका, लाइसेंस माल सप्लाई में मोटी कमीशन के छोटे अपराध से लेकर हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि के जघन्य अपराधों तक का। बिहार में एक विधायक ने जब एक दलित महिला के साथ बलात्कार करना चाहा तो महिला ने उनका गुप्तांग काट लिया। राजनीतिज्ञों के विरुद्ध सारे आपराधिक मामले में पुलिस नजरें चुराये रहती है, यदि मामला दर्ज भी हुआ तो उसके रफा-दफा होने में कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि बड़ें पुलिस अफसर से लेकर सरकार तक इन काले कारनामों पर पर्दा डालने में सचेष्ट रहती है।

अपराध का एक रूप भ्रष्टाचार है, जिसके लिए भारत-भूमि बहुरि उर्वर बन गयी है। बाढ़, सूखा, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाएँ आते ही सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी मूँछ पर ताव देने लगते हैं। राहत कार्य के बहाने सरकारी खजाना लूटने का उन्हें सुअवसर मिल जाता है। ऐसे भी दतर, तहसील, बी.डी.ओ., सी.ओ., पटवारी, चपरासी सबके घर काले धन की तूती बोलती है। अफसरान और कर्मचारी कहते हैं कि वेतन उपलब्धि है, और रिश्वत प्रारब्ध, जो भगवत-कृपा से मुअस्सर होता है। प्रशासन की फाइलों पर अदृश्य 'प्राइस टैग' लगे रहते हैं, जिसके प्राप्त होते ही संचिकाएँ उड़ने लगती हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Diamond, Larry & Richard Gunther, Political Parties and Democracy, Johns Hopkins University Press, 1996
2. Duverger, Maurice, Political Parties: Their Organization and Activity in Modern State, London: Methuen, 1978
3. King, Roger, The State in Modern Society, Palgrave Macmillan, London, 1986
4. Lipset, S.M., Political Man: The Social Bases of Politics, Garden City, New York: Doubleday & Co., Inc., 1960
